



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

OFFICE OF THE PRINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (FYS)
AN-VII SECTION
10-A, S.K. BOSE ROAD, KOLKATA: 700001

E-mail ID : cda-cal@nic.in
Website : www.pcafys.nic.in

Phone No : (033) 2248-5077 to 5080
FAX No. : (033) 2248-0991

No:525/AN/VII/circul ar

Dated: 08.1.2019.

Important Circular

To

1. All Controllers of Finance & Accounts (Fys)
2. The CIA (Fys), Kolkata.
3. All Br. Accounts Offices.
4. PAY(O) Section, Main Office, Kolkata.

Sub: E-mail address of office : DAD Estt.

A copy of CDA (Fund), Meerut letter No. DAD//07/722/Misc dated 14.9.2018 on the above mentioned subject is available on website of PCA (Fys), Kolkata for necessary action at your end please.

Enclosed: As above.

sd/-
Dy. Controller of Accounts (Fys)

Copy to:-

EDP Section
(Web Division)
Main office, Local.

- For uploading the circular in the PCA (Fys) website please.

[Signature]
Sr. Accounts Officer(AN)

20
19/12



सत्यमेव जयते

भारत सरकार Govt. of India
रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence
रक्षा लेखा विभाग Defence Accounts Department
रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि), मेरठ छावनी-250001
Controller of Defence Accounts (Funds), Meerut Cantt.
Phone:- 0121-2647023 Fax:-0121-2647022
Toll Free No. 1800 180 3810



Ans-Ex-1
EDP

संख्या: डी.ए.डी./I/07/722/विविध

दिनांक: 14.09.2018

AN-VI

सेवा में,
लेखा प्रधान नियंत्रक (निर्माणी)
10-ए, एस.के.बोस रोड
कोलकाता -700001



251042
14/12

विषय : विभिन्न कार्यालयों के E-mail पत्तों के प्रेषण के संबंध में ।

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यह कार्यालय अग्रिम माह अक्टूबर 2018 से सामान्य भविष्य निधि बिल से संबन्धित पत्राचार को मैनुअल माध्यम के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा प्रेषित करना प्रारम्भ कर रहा है, जिसके लिए सभी कार्यालयों के E-mail पत्तों की आवश्यकता है । अतः आप कार्यालय तथा अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों के E-mail पत्तों को सूचीबद्ध करके इस कार्यालयों को अतिशीघ्र प्रेषित करें ताकि इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा प्रेषण प्रारम्भ किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित बिलों के प्रेषण के समय बिल में कार्यालय तथा अंशदाता के E-mail पत्तों को आवश्यक रूप से दर्शाये । बिना E-mail पत्तों को दर्शाये बिल को इस कार्यालय को प्रेषित न करें ।

लेखा अधिकारी (डी.ए.डी.)